REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

Hkkjr dh lkekftd& jktuhfrd fodkl esa Mk-vEcsMdj dk ;kxnku% ,d fo'ys"k.k

vjfoUn dqekj feJ
vkbZ-lh-,l-,l-vkj- MkDVkjy Qyks
jktuhfr foKku foHkkx] dk'kh fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh-

iLrkouk%

भारतीय राजनीतिज्ञों में डॉ0 अम्बेडकर एक ऐसी शाख्सियत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिनका सम्पूर्ण जीवन अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से लेकर अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक जातिगत भेदभाव के कारण अनेकों बार अपमान सहे, किन्तु उसका विरोध करने के लिए उन्होनें शिक्षा व कलम को अपना हथियार बनाया तथा अपने व्यापक दृष्टिकोण से भारत में अन्तर्निहित संरचनात्मक अन्याय को एक कठिन चुनौती दी, यह निःसन्देह अपने आप में अतुलनीय है। अतः अम्बेडकर के वैचारिक मर्म को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि व्यापक करनी होगी, अन्यथा हम अम्बेडकर को उनके सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। और आज अम्बेडकर को उनके कार्य व उपलब्धियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उनके कार्यों का विश्लेषण बेहद संकुचित दायरे में रहकर किया गया, तथा उन्हें जाति विशेष के उद्धारक मात्र के रूप में पेश किया गया। किन्तु अम्बेडकर तो इससे इतर सनातन धर्म में व्याप्त बुराई को जड़ से उखाड़ने हेतु प्रयासरत थे, वे भारत में सामाजिक न्याय का बीज बो रहे थे, महिलाओं के हक की बात कर रहे थे, भारतीय संविधान की रचना में अपना अमूल्य योगदान दे रहे थे तथा भारत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसे शब्दों में छिपे गूढ अर्थों का विस्तार कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, वे 'हिन्दू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे।'[1]

प्रस्तुत लेख कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने की एक कोशिश है। क्या अम्बेडकर के विचारों में हमें समानता, स्वतंत्रता व न्याय जैसे तत्वों की सार्थकता नजर आती है? यदि हाँ, तो आज अम्बेडकर के विचार वर्तमान भारतीय परिदृश्य में कितने प्रासंगिक व चुनौतीपूर्ण हैं? तथा किस प्रकार अम्बेडकर के विचारों में व्यापकता देखी जा सकती है? इन प्रश्नों के आलोक में सर्वप्रथम हमें उनके प्रमुख विचारों पर दृष्टि डालना समीचीन होगा।

vLi';rk o Mk0 vEcsMdj

असमानता, शोषण व जाति प्रथा जैसे विषयों पर डॉ0 अम्बेडकर के विचार बेहद क्रान्तिकारी व एपिस्टेमिक बेस पर चोट करने वाले हैं। जाति प्रथा ने भारत में एक ऐसी कुरीति के रूप में जन्म लिया, जिसने देश के नागरिकों के एक भाग को मनुष्य ही मानने से इनकार कर दिया। समाज में इनसे जानवरों से भी बदतर व्यवहार करने का चलन था। सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना तो दूर की बात, इनके छूने मात्र से लोग अपवित्र होने की भावना मन में लाते थे। अतः उन्होनें इस अन्याय व शोषण के विरूद्ध संघर्ष का आहवान किया। 4 अगस्त 1923 को बम्बई कौंसिल द्वारा एक नियम पारित किया गया कि शूद्रों को भी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने की छूट दी जाय। इसके तत्वावधान में 1924 में महाड़

नगरपालिका ने वहाँ के प्रसिद्ध 'चवदार' तालाब के पानी का उपयोग करने का अधिकार अछूतों को भी दे दिया। किन्तु भय के कारण वहाँ के हरिजन अब भी उस तालाब का पानी प्रयोग में नहीं लाते थे। अतः डॉ0 अम्बेडकर ने 19 व 20 मार्च को दलित परिषद् की बैठक बुलाई जिसमें परिषद् द्वारा चवदार तालाब पर अछूतों के अधिकार की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। अम्बेडकर ने स्वयं उस तालाब का पानी अपनी अंजुलियों में भरकर अस्पृश्यता की बेड़ियों को तोड़ने में एक कदम आगे बढ़ाया। यद्यपि बाद में उनपर हिंसात्मक हमले भी हुए, किन्तु उनका यह साहसिक कदम हरिजनों के मन में क्रान्ति का बीज बो गया।

इसी प्रकार बम्बई स्थित कालाराम मन्दिर में प्रवेश का अधिकार अछूतों को न था। अतः 2 मार्च 1930 को नासिक में डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सन्दर्भ में सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा की गई। यह संघर्ष पूरे एक वर्ष तक चला। इस दौरान हरिजन वर्ग मन्दिर के प्रवेशद्वार तक प्रतिदिन जाते, किन्तु उन्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। रामनवमी के दिन यह समझौता हुआ था कि रथयात्रा को कन्धा हरिजन वर्ग भी देंगे। किन्तु उस दिन ऐसा न होने पर दंगा भड़क उठा। अंततः कालाराम मन्दिर के दरवाजे हरिजन समाज के लोगों के लिए भी खोल दिये गये।

अस्पृश्यता ने भारतीय समाज में अपनी जड़ें मजबूती से जमा रखी थी, जिसका भलि–भाँति अन्दाजा डॉ0 अम्बेडकर को था। अतः जब गोलमेज सम्मेलन में हरिजन वर्ग का पक्ष रखने हेतु डॉ0 अम्बेडकर को चुना, तो उन्होनें इस सम्मेलन में हरिजन वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन व सुरक्षित सीटों की मांग कर ली। 12 नवम्बर 1930 को रैम्जे मैक्डोनल्ड की अध्यक्षता में शुरू हुए गोलमेज सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी भाषण देते हुए कहा कि, "मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या हिन्दूस्तान की जनसंख्या का पाँचवाँ भाग है...। परन्तु मेरे उन भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। गुलामों के मालिक उनको छू सकते थे, परन्तु हमें छूना भी पाप समझा जाता है।... डेढ़ सौ वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत 'जैसी थी' वैसी ही रही है। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा?.... मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। हमारे दुःख हम स्वयं दूर करेंगे और उसके लिए हमारे हाँथों में राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए....।"[2]

किन्तु गांधी जी हरिजन वर्ग के लिए पृथक चुनाव तथा पृथक निर्वाचन संघ की मांग से असहमत थे। उनका तर्क था कि इससे यह समाज अलग–थलग पड़ जाएगा तथा संसाधनों के अभाव मं उनका उचित विकास न हो सकेगा, उधर 20 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा कर दी गई, जिसके तहत् मुसलमान, ईसाई और सिक्ख के अतिरिक्त दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और उन्होनें इसके विरूद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। अन्ततः 24 सितम्बर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से समझौता हुआ, जिसके तहत् पृथक् निर्वाचन के स्थान पर दलितों के लिए सीटें सुरक्षित की गई।

20 जुलाई 1924 को अम्बेडकर ने दलित वर्ग को संगठित करने के लिए जहाँ 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की, वहीं अक्टूबर 1936 में इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी की स्थापना की नींव रखी।

Ekfgyk l'kfDrdj.k o vEcMdj

महिला उत्पीड़न का इतिहास भारत में बहुत लम्बा रहा है। नारी अधीनता ने न केवल सामाजिक प्रस्थिति में उन्हें पुरूष वर्ग से नीचे रखा अपितु देश के सम्पूर्ण विकास को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया। जब हम महिला सशक्तिकरण हेतु किये गए प्रयासों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उनमें एक नाम अम्बेडकर का भी आता है जिन्होनें इस दिशा में सार्थक प्रयास किया व 'समाज में' उनकी स्थिति सुदृढ़ की। उन्होनें 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत' आदि प्रकाशनों में महिला अधिकार के मुद्दों को उठाया। अम्बेडकर ने महिला की दशा को प्राकृतिक नहीं माना, अपितु उसे एक सामाजिक रचना माना। अछूतोद्धार आन्दोलन के दौरान अम्बेडकर ने कई जगहों का दौरा किया था, उसी दौरान वे मालाबार भी गए जहाँ उन्होनें महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि '... शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है।.... यदि आप पढ़ लिख जाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। जैसी आप होंगी, वैसे ही आपके बच्चे। उनके जीवन को सच्चरित्र बनाओ।'

जब 'चवदार' तालाब पर अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया था, तो उस समय आश्चर्यजनक रूप से लगभग 500 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था।

'हिन्दू कोड बिल' अम्बेडकर द्वारा किया गया एक ऐसा प्रयास था, जिससे उनकी महिला उद्धार की मंशा का पता चलता है। इसमें ना तो बहु विवाह को जगह दी गयी थी और ना ही दासत्व को। इस बिल के चार प्रमुख उद्देश्य थे– (1) जन्माधृत अधिकारपरक सिद्धान्त को समाप्त किया जाय। (2) सम्पत्ति पर स्त्रियों का पूर्णाधिकार (3) पिता की सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार हो (4) विवाह–विच्छेद (तलाक) के लिए प्रावधान।

11 अप्रैल, 1947 को यह बिल पेश किया गया था, किन्तु तत्कालीन विरोध के चलते नेहरू ने अम्बेडकर को सलाह दी कि उसका एक ही भाग वे प्रस्तुत करें। और नेहरू की सलाह पर अम्बेडकर ने इसका चौथा भाग (विवाह–विच्छेद) प्रस्तुत करना उचित समझा। किन्तु विरोध कम होने के बजाय ज्यादा हो गया। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग इस विधेयक के विरोध में थे। अतः आजीज आकर अम्बेडकर ने मंत्रीमण्डल से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे चारों भाग चार अलग–अलग बिल के रूप में संसद में पेश हुए और पारित भी हो गए।

Lkfo/kku fuekZ.k o Mk- vEcMdj

संविधान निर्माण के क्षेत्र में डॉ0 अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। जवाहरलाल नेहरू, गांधी इत्यादि लोग इस बात से भलि–भाँति अवगत थे कि अम्बेडकर के कन्धों पर ही संविधान निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अतः उन्हें 'प्रारूप समिति' का अध्यक्ष चुना गया जिन्होनें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र जैसे शब्दों के मूल्यों की न केवल रक्षा की, वरन् सम्पूर्ण विश्व के समक्ष 'अनेकता में एकता' का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस वक्त अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समय के भारत की परिस्थितियाँ बेहद कठिन व संघर्षमयी थीं। व्यापक संसाधनों का अभाव होने की वजह से संविधान निर्माण में किसी तरह का प्रयोग करना सम्भव न था, दूसरा भारत अभी–अभी गुलामी के दंश से निकला था, अतः भारतवासियों में एक नई स्फूर्ति पैदा करना तथा विश्वास दिलाना कि यह संविधान उनके हितों की रक्षा करेगा, अपने आप में चुनौतिपूर्ण था। इसके अतिरिक्त छूआ–छूत, अस्पृश्यता, ऊँच नीच, नृजातीयता, बहुसंस्कृति, धर्मों की बहुलता आदि अनेक ऐसे मुद्दे थे, जिसे ध्यान में रखकर संविधान का प्रारूप तैयार करना अम्बेडकर के लिए आसान नहीं था। लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना डॉ0 अम्बेडकर ने बखूबी किया।

संविधान सभा के समक्ष अपने सम्बोधन में प्रारूप संविधान के निर्माण का श्रेय डॉ0 अम्बेडकर को देते हुए श्री कृष्णामचारी ने कहा–

"संविधान सभा में एक मैं भी हूँ जिसने डॉ0 अम्बेडकर को बहुत सावधानीपूर्वक सुना है। मैं उस मेहनत और लगन–युक्त उत्साह को समझता हूँ जिससे उन्होनें भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है...। सदन शायद यह जानती है कि आपके द्वारा नियुक्त किये गए सात सदस्यों में से एक ने त्यागपत्र दे दिया, जिनके स्थान पर पूर्ति की गयी। एक सदस्य की मृत्यु हो गयी और उस रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की जा सकी। एक अमेरिका चले गए और वह भी रिक्त स्थान नहीं भरा जा सका। एक दूसरे सदस्य अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त रहे और उनका भी स्थान खाली रहा। एक या दो सदस्य दिल्ली से बाहर रहे। शायद अपने स्वास्थ्य के कारण वे शामिल नहीं हो सके। हुआ यह कि एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में समिति इतने महान् कार्य का दायित्व नहीं निभा पायी।.."[3]

कृष्णामचारी के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अम्बेडकर पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की सम्पूर्ण जिम्मदारी आ गयी थी, जिसका निर्वहन उन्होनें बखूबी किया 'डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा–समिति ने निरन्तर 141 दिनों के प्रयास के बाद प्रारूप संविधान को तैयार किया। अन्तिम रूप से तैयार किये गए इस प्रारूप–संविधान में कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थीं, जिसे डॉ0 अम्बेडकर द्वारा 4 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति–भाषण के माध्यम से डॉ0 अम्बेडकर ने न केवल प्रारूप संविधान में उल्लेखित देश की शासन–व्यवस्था का खाका खींचा बल्कि उन्होनें उन सभी आलोचनाओं का भी जवाब दिया, जो प्रारूप–संविधान के सम्बन्ध में किया जा रहा था।'[4]

भारत में संसदीय शासन पद्धति, संघीय व्यवस्था किन्तु विपरीत परिस्थितियों में एकात्मक स्वरूप, मूल अधिकारों की व्यवस्था, संविधान में लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यक वर्ग को

संरक्षण प्रदान करना, राज्य हेतु नीति–निर्देशक तत्वों का प्रावधान आदि कुछ ऐसे विषय थे, जो अम्बेडकर के प्रारूप–भाषण की विशेषता को उल्लेखित कर रहे थे। सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है, कि अम्बेडकर ने 'संवैधानिक नैतिकता' को विकसित करने पर खासा जोर दिया–

'प्रश्न यह है कि क्या हम 'संवैधानिक नैतिकता' को प्रसारित करने का अनुमान लगा सकते हैं? संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है। इसका विकास करना होता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जनता को अभी इसे सीखना है। भारत में लोकतंत्र इसकी उस मिट्टी के ऊपर चढ़ायी गयी चादर है जो खुद अन्दर से अलोकतांत्रिक है।'

इस प्रकार यदि संक्षेप में देखा जाय तो अम्बेडकर का व्यक्तित्त्व बहुआयामी था। और यह बहुआयामी व्यक्तित्व उन्होनें अपनी मेहनत, लगन अथक प्रयासों तथा अनेक खट्टे–मीठे अनुभवों से निर्मित किया था। भारतीय संविधान संरचनात्मक रूप में व्याप्त छुआछूत को कम करने, स्त्री–वर्ग के सशक्तिकरण में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तित्त्व के अनेक पहलू अभी भी ऐसे हैं, जिससे भारतीय जनता अपरिचित है तथा जिसका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि उच्च शिक्षित तबका इस ओर अपना ध्यान अवश्य आकृष्ट करेगा।

---

[1] एलनोर जेलियट, 'द सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ बी0आर0 अम्बेडकर', इन थॉमस पैन्थम एवं केन्नथ एल ड्यूस (सम्पादित), पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया रोज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 161.

[2] निर्माण पुरूष डॉ0 अम्बेडकर की संविधान यात्रा, अनूप बरनवाल, pp. 38-39, लोकभारती पेपरबैक्स, दूसरा संस्करण 2018.

[3] C.A.D., खण्ड 7, पृष्ठ – 231.

[4] अनूप बरनवाल P. 75.

vjfoUn dqekj feJ
vkbZ-lh-,l-,l-vkj- MkDVkjy Qyks]jktuhfr foKku foHkkx]
dk'kh fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh-